न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :— बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :— 81/2018 ई.रे.

1— भवानीशंकर पिता नाथूलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
2— भागवंतीबाई पिता नाथूलाल पत्नी अम्बालाल ब्राहमण नि. लिम्बोदड़ा तहसील डूंगला
3— मोहनीबाई पिता नाथूलाल पत्नी सोहनलाल ब्राहमण नि. आलाखेडी तहसील डूंगला
4— चान्दीबाई उर्फ नाथूलाल पत्नी चम्पालाल ब्राहमण नि. वरनी तह. वल्लभनगर

— वादीगण

बनाम

1— मांगीलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
2— प्रभुलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
3— परसराम पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
4— जगन्नाथ पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
5— तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

// निर्णय // दिनांक :— 26/09/2023

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करोली पटवार हल्का पुनावली में नई खाता संख्या 85 पुरानी 79 की आराजी नम्बर 276 रकबा 0.29 हैक्ट. लगानी 5.51 पैसा स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान में वादी एवं उसकी माता सवागीबाई के नाम से 1/2 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से लगायत 4 तक के नाम से राजस्व रिकोर्ड में 1/2 ही हिस्सा दर्ज है। पूर्व में जवेरीलाल, सरदार पिता मथुरालाल ब्राहमण नि. करोली के कास्त एवं खातेदारी में थी तथा जवैरीलाल, सरदार पिता मथुरालाल ब्राहमण से उक्त आराजी को वादीगण के दादा रूपालाल पिता मोतीलाल ब्राहमण ने दिनांक 14.08.1940 को जरिये विक्रय पत्र से खरीद कर उसका विधिवत पंजियन भी उक्त आराजी का उन्होने अपने नाम से पंजियन कार्यालय से करवा कर मौके पर वादग्रस्त आराजी का कब्जा भी जवैरीलाल, सरदार जी ब्रहमण से वक्त खरीद से प्राप्त कर लिया था जिससे वादग्रस्त' आराजी पर रूपलाल पिता मांगीलाल काबीज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा रूपलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के पिता नाथूलाल उस पर काबीज होकर नाथूलाल जी के साथ वादीगण वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हक हिस्से पर काबीज चले आ रहे थे। नाथूलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण एवं उनकी माता सवागीबाई की भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण सवागीबाई के वारिस होने से वे आज भी मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के दादाजी रूपलाल जी एवं वादीगण के पिता नाथूलाल जी के स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादीगण 1 से 4 तक के पिता शंकरलाल ने उस समय के राजस्व कर्मचारीयों के मिल कर वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा गलत रूप से अपने नाम दर्ज क़रवा लिया तथा शंकरलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादीगण ने 1/2

तक हिस्सा वादग्रस्त आराजी का अपने नाम पर करवा लिया जब कि वादग्रस्त आराजीयात पर शंकरलाल एवं प्रतिवादीगण का कभी भी कोई कब्जा भी नहीं रहा है तथा वादीगण के दादा खरीद के पश्चात से ही यानी दिनांक 14.08.1940 से वे काबीज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनका पुत्र नाथुलाल जी वादीगण के पिता है वे काबीज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा नाथूलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण नाथूलाल जी के जीवनकाल से ही वादग्रस्त आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से पर काबीज होकर आज तक काश्त करते चले आ रहे है जिससे वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के खातेदारी में घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई. रे. किया जाकर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीगण बाद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकियात कायम नही कर सिधे ही साक्ष्य वादी ली गयी तथा साक्ष्य वादी में गवाह भवानीशंकर, नाथूलाल, भैरुलाल, भंवरलाल के शपथ पत्र पेश हुये।

बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया । स्पष्ट है कि प्रकरण ग्रस्त आराजी वाद पत्र अनुसार दिनांक 14.08.1940 को जरिये विक्रय पत्र से खरीद कर विधिवत पंजीयन करवाया गया है जो कि वर्तमान में मांगीलाल, प्रभुलाल, परसराम, जगन्नाथ पिता शंकर 1/2 भवानीशंकर पिता नाथू, सवागी बाई पत्नी स्व. नाथु 1/2 ब्राहमण के नाम दर्ज रिकोर्ड है प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त प्ररकण में कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने की दशा में वाद वादी शपथ पत्र के आधार (विक्रय पत्र) साबित किया है इसलिये वाद-वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर मौजा करोली पटवार हल्का पुनावली तहसील बडीसादडी की आराजी नं. 276 रकबा 0.29 हैक्ट. भूमि में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। धारा 188 की दाद वादीगण साबित करने में असफल रहने से खारिज की जाती है। तदअनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।
निर्णय आज दिनांक 26/09/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दूबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 81/2018 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1— भवानीशंकर पिता नाथूलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
2— भागवंतीबाई पिता नाथूलाल पत्नी अम्बालाल ब्राहमण नि. लिम्बोदड़ा तहसील डूंगला
3— मोहनीबाई पिता नाथूलाल पत्नी सोहनलाल ब्राहमण नि. आलाखेडी तहसील डूंगला
4— चान्दीबाई उर्फ नाथूलाल पत्नी चम्पालाल ब्राहमण नि. वरनी तह. वल्लभनगर

— **वादीगण**

बनाम

1— मांगीलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
2— प्रभुलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
3— परसराम पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
4— जगन्नाथ पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. करोली तहसील बडीसादडी
5— तहसीलदार बडीसादडी

वादी की ओर से वकील लक्ष्मणसिंह झाला तथा प्रतिवादी की ओर से x पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा करोली पटवार हल्का पुनावली तहसील बडीसादडी की आराजी नं. 276 रकबा 0.29 हैक्ट. भूमि में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। धारा 188 की दाद वादीगण साबित करने में असफल रहने से खारिज की जाती है।

इस वाद के खर्चे...X..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X. को दी जावे।

यह आज दिनांक 26.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2023/156 दिनांक :05/10/2023

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested